न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

———————

न संख्या :– 197/2005 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

न :– 1. जयराम दास पुत्र रामरत्न जाति पु0 ब्रा0 निवासी खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर (फौत)

1/1. श्यामलाल

1/2. लछमन

1/3. प्रकाश पिसरान स्व0 जयराम दास

1/4. सुशीला पत्नी स्व0 शंकर पुत्र स्व0 जयराम दास

1/5. सौरभ

1/6. रिषभ पुत्रान शंकर नाबालिग मुदई नम्बर 1/6 जरिये वली सरपरस्त माता स्वयं सुशीला मुदईया नम्बर 1/4

1/7. रेवतीदेवी पत्नी स्व0 जयरामदास जाति पुष्करना ब्राहमण निवासी खैरथल गांव तहसील किशनगढबास जिला अलवर ।

:——— वादी/अपीलांट

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये जिलाधीश, अलवर

2. नगरपालिका खैरथल जिला अलवर जरिये अधिशाषी अधिकारी

:——— प्रतिवादी/रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,

किशनगढबास दिनांक 30.8.2005

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट :— श्री गोविन्द सिंह

2. वकील रेस्पो0 सं0 1 :— राजकीय अभिभाषक

3. वकील रेस्पो0 सं0 2 :— श्री भीमसिंह विजय

निर्णय दिनांक 3.3.2017

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, किशनगढबास द्वारा दावा संख्या 225/2005 उनवान जयराम दास बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 30.8.2005 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट खारिज किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 3881 रकबा 05 बिस्वा, 3882 रकबा 04 बिस्वा, जिसके साबिक खसरा नम्बर 2788, 2689 वाके ग्राम खैरथल का वादी आवंटी गैर खातेदार काबिज है । कीमत जमा कराने पर वादी को खातेदारी के हकूक प्राप्त हो चुके हैं । दिनांक 12.3.81 को तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर से श्रवण कुमार नामक व्यक्ति ने सांठ गांठ करके अपने नाम पटटा जारी करा लिया, क्यांकि बंदोबस्त सम्वत 2029 में इस आराजी को खिलाफ मौका सिवायचक दर्ज कर दिया था । जिसकी बाबत वादी की अपील संख्या 14/82 न्यायालय कलेक्टर कम सैटिलमैंट कमिश्नर, अलवर द्वारा दिनांक 26.9.84 को स्वीकार की गई थी । इस अपील के दौरान उक्त श्रवण कुमार ने दीगर व्यक्तियों को फर्जी तरीकं से बेचान कर दिया । इसकी अपील दिनांक 25.5.2000 को खारिज कर दी गई और कलेक्टर कम सैटिलमैंट कमिश्नर के निर्णय के पश्चात तहसीलदार ने विवादित भूमि को वापिस सिवायचक खाते में दर्ज कर दिया, जबकि इस दौरान भी वादी का ही कब्जा रहा है । अब प्रतिवादी नम्बर 01 ने गलत इन्द्राज सिवायचक होने के कारण विवादित भूमि प्रतिवादी नम्बर 01 के पक्ष में इन्तकाल नम्बर 3017 के जरिये दर्ज कर दी । जबकि मौके पर कब्जा वादी का ही है । प्रतिवादीगण को वादी की भूमि को नगरपालिका के नाम दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है । वादी विवादित भूमि का आवंटी गैर खातेदार है, परन्तु इस भूमि को बंदोबस्त सम्वत 2029 में गलत तौर पर सिवायचक दर्ज कर दिया गया और अब वर्तमान में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

नगरपालिका के नाम दर्ज कर दी गई है । अतः निवेदन है कि वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा वाद पत्र खारिज किया है, जिसकी यह अपील है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया है कि विद्वान तहत न्यायालय ने मेरे द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों का सही प्रकार से अवलोकन नहीं किया । राज्य सरकार की ओर से सिवायचक और फिर नगरपालिका के नाम दर्ज किस आधार पर की गई है, के सम्बन्ध में कोई सबूत पेश नहीं किया गया है । अदालत मातहत ने इन्तकाल की अपील करने की जो दलील दी है, वो गलत है । मैंने अपने वाद पत्र में उक्त इन्तकाल को बातिल व बेअसर करार देने का भी अनुतोष चाहा है, इसलिये इन्तकाल की अपील करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । मैंने अपने वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया है, फिर भी गलत तौर पर वाद पत्र खारिज कर दिया गया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4. राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक का कहना है कि विवादित आराजी नगरपालिका खैरथल की है और वर्तमान में नगरपालिका का ही कब्जा है ।पूर्व में विवादित भूमि सिवायचक थी । बाद में भूमि नगरपालिका को नियमानुसार दी गई है, जिसका इन्तकाल संख्या 3017 नगरपालिका के नाम स्वीकार हुआ है । स्वयं वादी अपीलांट का यह कथन है कि जिला कलेक्टर ने आराजी को वापिस सिवायचक दर्ज कर दिया था तो इस सम्बन्ध में निवेदन है कि वादी अपीलांट को इसकी अपील करनी चाहिये थी । वादी अपीलांट ने अपने वाद पत्र के समर्थन में बंदोबस्त सम्वत 2029 से पूर्व का कोई रेकार्ड पेश नहीं किया है । तहसीलदार लैंड होल्डर होता है, जो इस वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार है, परन्तु उसे पक्षकार नहीं बनाया गया और ना ही नगरपालिका को वादी ने नोटिस दिया है । वादी अपीलांट का वाद पत्र सारहीन है, जिसे विद्वान तहत न्यायालय ने सही तौर पर खारिज किया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5. रेस्पो0 नगरपालिका की ओर से पैरवी करते हुये विद्वान वकील ने विद्वान राजकीय अभिभाषक के तर्कों को दोहराते हुये बताया कि विवादित भूमि सही तौर पर नगरपालिका को दी गई है । अतः अपील खारिज की जावे ।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । विद्वान वकील अपीलांट का मुख्य तर्क यही है कि विवादित भूमि का वह आवंटी गैर खातेदार था, परन्तु बंदोबस्त सम्वत 2029 में इसे गलत तौर पर सिवायचक दर्ज कर दिया गया, इसके पश्चात किसी श्रवण कुमार नामक व्यक्ति के नाम पटटा जारी कर दिया, जिसकी अपील कलेक्टर कम सैटिलमैंट कमिश्नर, अलवर ने स्वीकार कर आराजी को पुनः सिवायचक दर्ज कर दिया गया और इसके पश्चात इस आराजी का इन्तकाल नगरपालिका के नाम

Scanned by CamScanner

स्वीकार कर दिया । इन तर्कों के सम्बन्ध में हमने तहत पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया । जमाबन्दी सम्वत 2014–17 प्रदर्श–6 में साबिक खसरा नम्बर 2788 मिन रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा पर काश्तकार के कॉलम में जयरामस पुत्र रामरतन ब्राहमण साकिन देह अलोटी का इन्द्राज किया हुआ है । जमाबन्दी सम्वत 2010–13 प्रदर्श–5 में खसरा नम्बर 2788 पर काश्तकार के कॉलम में मजाहिर, हुसने मजकूर मौरूसी, इग्मी मजकूर गैर मौरूसी काश्त जैराम पुत्र रामरतन, गोरधन पि0 रामरतन एक बीघा 06 बिस्वा, रामजी पि. सालगराम 18 बिस्वा पुरूषार्थियान साकिन देह अलोटी तथा खसरा नम्बर 2689 पर इमाम खां, झूथर पुत्रान मरीना समभाग 2 तिहाई, यासीन पुत्र अफसू एक तिहाई मेव साकिन देह गैर मौरूसी साल 63, जयराम पुत्र रामरतन पुरूषार्थी साकिन देह काश्त का अंकन किया हुआ है । जमाबन्दी सम्वत 2043 प्रदर्श–7 में खसरा नम्बर 3881 रकबा 5 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 3882 रकबा 4 बिस्वा पर इशरचन्द पुत्र वीरूमल खत्री 1/2, रूडचन्द पुत्र सन्तराम जाट पंजाबी 1/2 साकिन नंगलाडूगर खातेदार का अंकन किया हुआ था, जिसे इन्तकाल नम्बर 1517 द्वारा विलोपित कर सिवायचक दर्ज करने का नोट अंकित है । जमाबन्दी सम्वत 2038 प्रदर्श–8 में खसरा नम्बर 3881 रकबा 5 बिस्वा, 3882 रकबा 4 बिस्वा पर श्रवण कुमार खातेदार दर्ज किया हुआ है । बय इन्तकाल नम्बर 1153 (1143) द्वारा यह आराजी ईश्वरचन्द 1/2, रूडचन्द 1/2 के नाम दर्ज होने का नोट अंकित है । इसके पश्चात इन्तकाल नम्बर 1517 द्वारा आराजी खातेदारी से सिवायचक दर्ज करने का नोट लाल स्याही से अंकित है । जमाबन्दी सम्वत 2055 प्रदर्श–9 में खसरा नम्बर 3881 व 3882 को सिवायचक दर्ज किया हुआ है । इन्तकाल नम्बर 3017 द्वारा खसरा नम्बर 3677, 3725 को छोडकर शेष आराजीयात किता 147 रकबा 179 बीघा 6 बिस्वा को सिवायचक से नगरपालिका, खैरथल के नाम दर्ज करने का नोट लाल स्याही से दर्ज है । जमाबन्दी खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2029 में विवादित आराजी को सिवायचक बिला लगानी दर्ज किया हुआ है । खसरा गिरदावरी सम्वत 2010 प्रदर्श–10 में खसरा नम्बर 2689 पर सरूपचन्द तथा खसरा नम्बर 2788 पर जयराम की काश्त दर्ज है । खसरा गिरदावरी सम्वत 2018 प्रदर्श–11 में खसरा नम्बर 2689, 2788 पर जयराम की काश्त दर्ज है । इन्तकाल नम्बर 690 द्वारा खसरा नम्बर 3881 रकबा 5 बिस्वा, 3882 रकबा 4 बिस्वा पर तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर के आदेश से श्रवण कुमार को खातेदारी प्रदान की गई है । कलेक्टर कम सैटिलमैंट कमिश्नर, अलवर द्वारा अपील संख्या 14/82 उनवान जयराम बनाम श्रवण कुमकार में पारित निर्णय दिनांक 26.9.84 प्रदर्श–14 की प्रमाणित प्रतिलिपि है, जिसके अवलोकन से सिद्ध है कि यह अपील जयराम ने तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर के निर्णय दिनांक 12.3.81, जिसके द्वारा विवादित भूमि की कीमत श्रवण कुमार से जमा कराने के आदेश दिये गये थे, के खिलाफ जयपराम ने पेश की थी । यह अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर को रिमांड किया गया था ।

Scanned by CamScanner

7. उपरोक्त समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करने पर सिद्ध होता है कि बंदोबस्त सम्वत 2029 से पूर्व अपीलांट विवादित भूमि का अलोटी था । बंदोबस्त सम्वत 2029 में आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया गया था । बंदोबस्त विभाग द्वारा यह इन्द्राज किस आधार पर किया गया था, यह जांच का विषय है । इतना ही नहीं, विवादित भूमि श्रवण कुमार नामक व्यक्ति के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई थी और उक्त श्रवण कुमार ने विवादित भूमि का बेचान कर दिया था । श्रवण कुमार के नाम भूमि दर्ज करने के खिलाफ कलेक्टर कम सैटिलमैंट कमिश्नर, अलवर के यहां अपीलांट जयराम ने अपील की थी, जो अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार को रिमांड किया गया था । तत्पश्चात विवादित भूमि को सिवाय दर्ज कर नगरपालिका, खैरथल के नाम इन्तकाल दर्ज कर दिया गया । जबकि अपीलांट पूर्व में अलोटी थी । ये समस्त कार्यवाहियां अपीलांट का आवंटन रदद करने के पश्चात की गई थी अथवा उसके आवंटन के रहते की गई थी, यह भी जांच का विषय है । अतः प्रकरण का सम्पूर्ण रूप अवलोकन करते हुये वांछित जांच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु हम प्रकरण को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री दिनांक 30.8.2005 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि प्रकरण का सम्पूर्ण रूप से अवलोकन करते हुये वांछित जांच कर उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 3.4.2017 को पेश हो ।

9. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत पत्रावली लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(सजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner